

**न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन (म.प्र.)**  
**संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश**

क्रमांक- 39 /2025

उज्जैन, दिनांक- 24/01/2025

मैं राजेन्द्र सिंह सिंगार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन पूर्व में पारित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-12/2025 दिनांक 07/01/2025 में आंशिक संशोधन करते हुए आपराधिक कार्य विभाजन के संबंध में निम्नानुसार क्षेत्राधिकार की स्थानीय परिसीमाएं निश्चित करता हूँ :-

यह आदेश दिनांक 24 JAN 2025 से प्रभावशील होगा।

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	स्थानीय क्षेत्र	कार्य का विवरण
<b>तहसील-तराना</b>			
29.	श्री शिरीष शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तराना	तहसील तराना	1- अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :- <b>1- तराना</b>
		तहसील तराना	2- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में <b>आरक्षी केन्द्र तराना</b> से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	3- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
31.	श्री आयुष आरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तराना	तहसील तराना	1- अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :- <b>1- कायथा</b>
		तहसील तराना	2- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में <b>आरक्षी केन्द्र कायथा</b> (तहसील तराना में आने वाला भाग) से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।

	जिला उज्जैन	3- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
--	-------------	--

अनुमोदित

*राजेश कुमार गुप्ता*  
 (राजेश कुमार गुप्ता)  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
 उज्जैन (म0प्र0)

*राजेंद्र सिंह सिंगार*  
 (राजेंद्र सिंह सिंगार)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
 उज्जैन (म0प्र0)

**प्रतिलिपि :-**

क्रमांक- 39 / 2025

उज्जैन, दिनांक-24/01/2025

- 1- माननीय उच्च न्यायालय म0 प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक डी/3175/तीन-10-48 /98 जबलपुर दिनांक 09-सितम्बर-2009 के पालन मे सादर प्रेषित।
- 2- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 3- माननीय श्री/श्रीमती समस्ता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन/खाचरौद/नागदा/महिदपुर/तराना एवं बड़नगर की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 4- श्री/श्रीमती/कु. समस्ता ए.सी. जे.एम./जे.एम.एफ.सी.उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 5- अध्यक्ष अभिभाषक संघ उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- जिला अभियोजन अधिकारी उज्जैन की ओर इस निर्देश के साथ कि जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।
- 7- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण जिला उज्जैन को ई.मेल द्वारा सूचित करने हेतु एवं जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय उज्जैन को प्रेषित।

*राजेंद्र सिंह सिंगार*  
 (राजेंद्र सिंह सिंगार)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
 उज्जैन (म0प्र0)